न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2024-330RAAJodhpur2024-186RTA225 Amansingh ors Vs Naparam etc

01. अमानसिंह पुत्र श्री रूपसिंह जाति राजपूत, निवासी- गांव सोईन्तरा, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।
02. परबतसिंह पुत्र श्री रूपसिंह, जाति राजपूत, निवासी- गांव .सोईंतरा, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।
03. भंवरसिंह पुत्र श्री रूपसिंह, जाति राजपूत, निवासी- गांव सोईन्तरा, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।
04. हुकमसिंह पुत्र श्री रूपसिंह जाति राजपूत, निवासी- गांव सोईन्तरा, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. नपाराम पुत्र श्री मालाराम जाति राईका, निवासी गांव अमरपुरा(सोईंतरा) तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।
2. पपाराम पुत्र श्री मालाराम जाति राईका, निवासी गांव अमरपुरा(सोईंतरा) तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।
3. रूपाराम पुत्र रामाराम जाति राईका, निवासी गांव अमरपुरा(सोईंतरा) तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।
4. हरूराराम पुत्र रामाराम जाति राईका, निवासी गांव अमरपुरा(सोईंतरा) तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।
5. पाबूराम पुत्र श्री खेताराम जाति राईका, निवासी गांव अमरपुरा(सोईंतरा) तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।
6. पोकरराम पुत्र श्री पेमाराम जाति राईका, निवासी गांव अमरपुरा(सोईंतरा) तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।
7. भेराराम पुत्र पेमाराम जाति राईका, निवासी गांव अमरपुरा(सोईंतरा) तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।
8. मगाराम पुत्र श्री चैनाराम जाति राईका, निवासी गांव अमरपुरा(सोईंतरा) तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शेरगढ, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 06 अगस्त 2024 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शेरगढ राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 01/2023 नपाराम व अन्य बनाम अमानसिंह इत्यादि

उपस्थित-
श्री रवि शेखर थानवी, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री सुरेश परिहार, अधिवक्ता-रेस्पोडेंट संख्या एक से आठ
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या नौ

नि र्ण य

दिनांक : 13 दिसंबर 2024

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी शेरगढ द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 01/2023 नपाराम व अन्य बनाम अमानसिंह इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 06 अगस्त 2024 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 12 अगस्त 2024 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक से आठ ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर अपने खातेदारी खेत खसरा नं. 223 रकबा 29.169 हैक्टेयर राजस्व ग्राम अमरपुरा तहसील शेरगढ में आवागमन हेतु अपीलांट्स की खातेदारी भूमि खसरा नं. 308 में सें प्रस्तुत नक्शे अनुसार 20 फीट चौड़ा रास्ता चाहा तथा मौके पर अन्य कोई निकटतम एवं लघुतम रास्ता नहीं होना बताया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब की गई। अप्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत किया तथा मौका रिपोर्ट पर आपत्तियॉ प्रस्तुत की गई। विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों को खारिज करने पर अपीलांट्स द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध माननीय मण्डल में निगरानी प्रस्तुत की गई। माननीय मण्डल द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

निगरानी स्वीकार की गई, जिसकी पालना में विचारण न्यायालय द्वारा पुनः मौका रिपोर्ट तलब की गई। तत्पश्चात विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 06 अगस्त 2024 के जरिये रेस्पोडेंट संख्या एक से आठ का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेंट्स के खेत खसरा नं. 323 में आवागमन हेतु मौके पर खसरा नं. 325 की भूमि से लगता हुआ एवं खसरा नं. 325 की भूमि के कॉर्नर से वक्त सेटलमेंट से रास्ता चल रहा है जो खसरा नं. 323 में आने जाने के लिए बहुत ही कम दूरी पर स्थित है जो रेस्पोडेंट्स के आवागमन हेतु एक लघुतम एवं निकटतम रास्ता है जिसकी दूरी मात्र 616 फीट है। प्रथम मौका फर्द में उक्त रास्ते बाबत जांच नहीं किये जाने पर अपीलांट्स द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष उज्र पेश किये, जिस पर विचारण न्यायालय द्वारा दुबारा मौका रिपोर्ट मंगवाने पर उक्त विकल्प की जांच की गई तथा उक्त रास्ते को निकटतम बताया गया। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त वैकल्पिक रास्ते पर गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो अपास्त योग्य है। रेस्पोडेंट्स को उनकी सुविधा अनुसार नवीन रास्ता नहीं दिया जा सकता है। रेस्पोडेंट्स के आवागमन हेतु कटाणी मार्ग खसरा नं. 305 तक पहुचने हेतु अपीलाधीन रास्ते के बजाय खसरा नं. 309, 308 या 315 में सें भी रास्ता उपलब्ध हो सकता है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य पर गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो अपास्त योग्य है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट संख्या चार को सुने बिना तथा अपने निर्णय में विधिसम्मत विवेचन किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है। वकील अपीलांट्स ने दौराने बहस निवेदन किया कि खसरा नं. 315/1 की 1 बीघा भूमि ग्राम पंचायत को दान में दी गई है, किंतु रेस्पोडेंट्स द्वारा ग्राम पंचायत को पक्षकार ही नहीं बनाया गया है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेंट्स का

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रार्थना पत्र आवश्यक पक्षकारान् के असंयोजन के आधार पर खारिज योग्य है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 06 अगस्त 2024 को अपास्त फरमाया जावे एवं रेस्पोडेंट्स के आवागमन हेतु खसरा नं. 325 में से रास्ता दिये जाने का आदेश फरमावे। वकील अपीलांट्स ने अपनी बहस के समर्थन में 2014(1)आर.आर.टी. पेज 40, 2019(2)आर.आर.टी. पेज 1543, 2017(1)आर. आर.टी. पेज 423 की न्यायिक नजीरे पेश की।

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक से आठ के अधिवक्ता ने अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट्स द्वारा प्रथम मौका रिपोर्ट पर आपत्ति पेश किये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा पुनः उभय पक्ष की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तलब की गई, जिसमें भी अपीलाधीन रास्ता लघुतम एवं निकटतम रास्ता बताया गया है। अपीलांट्स परबतसिंह एवं भंवरसिंह वक्त मौका निरीक्षण मौके पर उपस्थित थे, किंतु उनके द्वारा हस्ताक्षर नही किये गये। अपीलांट्स द्वारा खसरा नं. 325 में सें बताये गये रास्ते का विकल्प अनुपयुक्त है, क्योकि उक्त रास्ते के स्थान पर अत्यधिक बड़ा रेतीला टीला होने से रास्ता नहीं दिया जा सकता है। खसरा नं. 315/1 रकबा 1 बीघा भूमि काश्तकारों द्वारा रास्ते के उद्धेश्य से ग्राम पंचायत को समर्पित की है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन रास्ता ही लघुतम एवं निकटतम रास्ता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिनुसार उभय पक्ष की उपस्थिति में पुनः तलब मौका रिपोर्ट के अनुसार उभय पक्ष की सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए लघुतम एवं निकटतम रास्ते का आदेश पारित किया है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक मौका फर्द दिनांक 20.05.2024 पर अपीलांट्स की ओर से आपत्ति प्रस्तुत कर रेस्पोडेंट्स के आवागमन हेतु खसरा नं. 325 में सें निकटतम रास्ते का विकल्प मौजूद होना बताये जाने पर पर विचारण न्यायालय द्वारा माननीय मण्डल द्वारा निगरानीधीन आदेश दिनांक 22.11.2023 की पालना में दिनांक 14.06.2024 को आपत्तियो को स्वीकार करते हुए उभय पक्ष की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु तहसीलदार शेरगढ का निर्देशित किया जाना पाया जाता है।

विचारण न्यायालय के उक्त आदेश की पालना में नायब तहसीलदार शेरगढ द्वारा उभय पक्ष की उपस्थिति में दिनांक 26.06.2024 को पुनः मौका जांच कर अपीलांट द्वारा सुझाये गये रास्ते के विकल्प की जांच की गई, जिसमें उक्त रास्ते को अनुपयुक्त बताया गया है, क्योंकि उक्त रास्ते की भूमि पर अत्यधिक बड़ा रेतीला टीला मौजूद है। नायब तहसीलदार द्वारा अपीलाधीन रास्ते को ही निकटतम एवं लघुतम बताया गया है।

अपीलांट्स का उज्र है कि खसरा नं. 309 में से भी रास्ता दिया जा सकता है। इस संबंध में मौका फर्द के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलाधीन रास्ता ही खसरा नं. 309 की बजाय लघुतम एवं निकटतम पाया जाता है। अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा मौके पर वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने की दशा में नवीन रास्ता नहीं दिये जाने का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। हस्तगत मामले में रेस्पोडेंट्स के आवागमन हेतु मौके पर वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण में लागू नहीं होते हैं।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए उनकी ओर से प्रस्तुत आपत्तियों का निस्तारण कर धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की मंशानुरूप निकटतम एवं लघुतम अपीलाधीन रास्ते का आदेश पारित किया जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों में विचारण द्वारा रेस्पोडेंट संख्या एक से आठ के आवागमन हेतु मौके पर उपलब्ध सभी वैकल्पिक रास्तो की जांच बाद लघुतम एवं निकटतम रास्ते का आदेश पारित किये जाने से अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 06 अगस्त 2024 यथावत रखा जाता है

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोइ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर